

**समाहरणालय मधेपुरा**  
(जिला योजना कार्यालय)

-:आदेश:-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत दिनांक 24.09.2013 को संपन्न जिला चयन समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित मधेपुरा जिला से संबंधित 02 योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर उपलब्ध कराया गया है। अंचल अधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 748-2 दिनांक 13.12.2013 एवं पत्रांक 26-2 दिनांक 09.01.2014 द्वारा प्राप्त चेक लिस्ट, जिसमें इन 02 योजना में सरकारी भूमि की उपलब्धता वर्णित है, के आलोक में योजना की तकनीकी अनुमोदन की राशि के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। निदेश है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए इस स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित शर्तों पर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे एवं निर्धारित अवधि में योजना का कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करावेंगे।

क्र०	विभाग, ग्राम क्षेत्र	प्रक०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्राथमिकता सूची का क्रमांक	तकनीकी अनुमोदन की राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मधेपुरा	न० १० मधेपुरा	मधेपुरा नगर परिषद, कालेजियेट उच्च विद्यालय मधेपुरा के प्रांगण में शहीद सदानन्द सुसजित पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन निर्माण कार्य।	02/2013-14	02	23.70	23.70	चार माह
2	मधेपुरा	न० १० मधेपुरा	नगर परिषद मधेपुरा वार्ड न० 15, कौशिकी क्षेत्र हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन के बगल में पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन निर्माण।	07/2013-14	07	21.34	21.34	चार माह
कुल योग:-							45.04	

(कुल मो० पैंतालीस लाख चार हजार रुपये मात्र)

5/1

जिला योजना पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

**नियम एवं शर्त :-**

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका ज्ञापक 1875/यो०वि, दिनांक 16.05.2012, विभागीय पत्रांक 220/यो०वि, दिनांक 14.01.2013, पत्रांक 612/यो०वि, दिनांक 11.02.2013 एवं समय समय पर योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत योजना के प्राक्कलन में पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्य एजेंसी ब्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
3. योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के मध्य में एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत योजना का फोटोग्राफ्स लेकर उसे योजना के पूर्ण होने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फोटोग्राफी की प्रति अपने योजना अभियंत्रण में भी संधारित करेंगे।
5. योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रक्षना अनिवार्य होगा, जिसमें इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी अपना मंत्रय के साथ हस्ताक्षर करेंगे।
6. योजना में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि इस योजना में विगत पांच वर्षों के अन्तराल में इस योजना पर अन्य किसी मद से कोई कार्य नहीं हुआ है तथा वर्तमान में यह योजना किसी अन्य मद अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
7. किसी भी परिस्थिति में योजना में विचौलिया अथवा ठेकेदार नहीं होगा। केवल निविदाधारी ही संवेदक होंगे।

8. किसी भी परिस्थिति में निकटतम दूरी उपलब्धता को छोड़कर दूरस्थ स्रोत को आधार बनाने पर संबंधित अभियंता कबीय अभियंता के विरुद्ध प्रशासनिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
  9. यदि योजना का निर्माण किसी सरकारी विभाग की भूमि पर बनाया जाता है तो कार्यकारी विभाग इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रमाण पत्र अभिलेख पर अंकित कर देंगे। इसके पश्चात् ही कार्य प्रारंभ करेंगे।
  10. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अपने स्तर से स्थानीय स्तर पर एक सूचना निर्गत कर कार्यान्वयन स्थल के रैयती नहीं होने के संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात् ही कार्यारंभ करायेंगे।
  11. योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख को निश्चित रूप से जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
  12. निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योजना को पूर्ण कर सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर अभिलेख बंद करते हुए पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- अनुलग्नक:-उल्लेखित 02 प्राक्कलन की एक एक प्रति।

विश्वासभाजन

55/

जिला योजना पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

झापांक...56.../यो0वि0, दिनांक 21/01/2014

- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि योजना प्रारंभ करने के पूर्व माननीय स0वि0प0 से योजना का शिलान्यास एवं उदघाटन के संबंध में निर्देश प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- संबंधित अंचल अधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- ✓ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। **अनुरोध है कि इसे जिले के नेबोर्ड पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।**

sec balno

21.01.14

जिला योजना पदाधिकारी,  
मधेपुरा।